XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1029–दो/14 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कंमांक निग0 3263–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 20.2.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ पुनरावलोकन (रिव्यु)

रिव्यू 1029-II/14
दिनांक 26-3-14 को
श्री ... अभि० द्वारा प्रस्तुत।
26-3-14
A.S.O

जानकी पुत्र रम्मू कोरी, निवासी ग्राम लांच, तहसील- इन्दरगढ़, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

विरुद्ध

१- मनोज कुमार,

२- रविशंकर,

-पुत्रगण बच्चेलाल दुबे, निवासीगण ग्राम लांच, तहसील इन्दरगढ़, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

३- मध्यप्रदेश शासन -------- प्रतिप्रार्थीगण

26/3/14

पुनरावलोकन आवेदन-पत्र विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (माननीय श्री एम०के० सिंह,) सदस्य, दिनांकी २०-०२-२०१४, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्रक्र० ३२६३-दो/१३ निगरानी ।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय ..., ग्वालियर

श्रीमान् जी,

प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख पर प्रत्यक्ष दर्शित भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२- यह कि, प्रार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र में सीमांकन की कार्यवाही की वैधता के सम्बन्ध में स्पष्ट आपत्ति की गई है जिसका उल्लेख भी विवादित आदेश के पद-३ में किया गया है, किन्तु सहवन इस आपत्ति पर न तो कोई विचार किया गया है और न इसका निराकरण ही किया गया है । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।